

संख्या  
हुकम

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

राजस्व वाद संख्या 34/2017 अनवान मुनिया उर्फ मिसरी बनाम हासम

नम्बर व  
तारीख अहकाम  
जा इस हुकम  
की तामील मे  
जारी हुए

03/04/2018

महा 15

  
उपनिर्देश  
34/18

वकील वादी के आवेदन पर यह पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी द्वारा एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03 सीपीसी सपटित धारा 151 सीपीसी बाबत वादी मुनिया उर्फ मिसरी खा का देहान्त होने से उसके कायम मुकाम को रेकॉर्ड पर लेने बाबत प्रस्तुत किया। वकील वादी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादी मुनिया उर्फ मिसरी खा का देहान्त दिनांक 22.06.2017 को हुआ है। अतः आवेदन स्वीकार किया जाकर कायम मुकाम रेकॉर्ड पर लिये जाकर प्रस्तुत संशोधित शीर्षक रेकॉर्ड पर लिया जाता है। कायम मुकाम की ओर से प्रस्तुत वकालत नामा सामिल मिसल किया जाकर रेकॉर्ड पर लिया जाता है।

वकील वादीगण द्वारा एक आवेदन इस आशय का भी प्रस्तुत किया कि पक्षकारान द्वारा लोक अदालत की भावना से आपस में समझाईस कर राजीनामा किया जा चुका है। प्रकरण में कोई विवाद नहीं है। लिहाजा यह वाद जरिये विद्रो खारिज फरमाया जावें।

प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा होने के कारण अब कोई विवाद शेष नहीं रहा है। लिहाजा वादीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर यह वाद इसी स्टेज पर जरिये विद्रो खारिज किया जाता है। पत्रावली सुमार फंसल होकर दाखिल दफ्तर हो।



सहायक जज  
( SDO ) वाइमेर